

प्रपत्र- 2.27

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

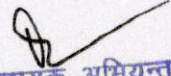
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

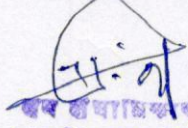

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

ह०/-

प्रयोक्ता एजेन्सी


वन प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट


वन सहायक
कपकोट वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग
(सहायक)

नोट:- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा सही कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।